भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3021

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर ऊर्जा का संवर्धन

3021. श्री शाहू शहाजी छत्रपती:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में और महाराष्ट्र में सौर और नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) देश में और महाराष्ट्र में हाल के वर्षों में जोड़ी गई सौर और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास और स्थापना को बढ़ावा देने तथा गति प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय तथा पहलें की हैं, जो कि **अनुलग्नक-I** में दी गई हैं।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सहित देश में पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (अप्रैल 2025 - जनवरी 2026) के दौरान सौर, पवन, जैवऊर्जा तथा जलविद्युत क्षमता का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 11.03.2026 को पूछे गए के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3021 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और स्थापना को बढ़ावा तथा गति प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय तथा पहलें की हैं। इसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषणयोग्य नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमान) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नवीन सौर विद्युत योजना (जनजातीय तथा पीवीटीजी बस्तियों/गावों के लिए), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं स्थापना के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- 30 जून, 2025 तक चालू की गई परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर राज्य (इंटर स्टेट) बिक्री के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए दिसंबर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसंबर, 2032 तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) शुल्क माफ किए गए।

- नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों (अर्थात, सौर पीवी मॉड्यूलों, सौर पीवी इनवर्टरों और भंडारण बैटरी) तथा सौर जल तापन प्रणालियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं।
- ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी किया गया।
- भारत के लिए संसाधन पर्याप्तता नियोजन फ्रेमवर्क के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- दिनांक 12 जून 2025 को प्रोटोटाइप पवन टरबाइन मॉडलों की स्थापना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
- दिनांक 31 जुलाई, 2025 को पवन टरबाइन मॉडलों और पवन टर्बाइ के निर्माताओं की संशोधित सूची (आरएलएमएम) में पवन टरबाइन मॉडलों को शामिल करने/अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी की गई। यह संशोधन आरएलएमएम का नाम बदलकर मॉडलों और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची [एएलएमएम (पवन)] के रूप में करता है और भारत के भीतर डेटा केंद्रों की अनिवार्य पुनर्स्थापना और भारत के बाहर रियल टाइम डेटा हस्तांतरण पर प्रतिबंध के साथ-साथ ब्लेड, टॉवर, जनरेटर, गियरबॉक्स और विशेष बीयरिंग (मुख्य, पिच और यॉ बियरिंग) जैसे सूचीबद्ध कंपोनेंटों के उपयोग को अनिवार्य करता है।
- दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को एएलएमएम-पवन और एएलएमएम - पवन टरबाइन कंपोनेंटों (एएलएमएम - डब्ल्यूटीसी) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई, जिसमें आवेदन, सत्यापन, कारखाना निरीक्षण, कंपोनेंट मूल्यांकन और मॉडल सूचीबद्धता के लिए एंड-टू-एंड प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

- तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

अनुलग्नक-II

दिनांक 11.03.2026 को पूछे गए के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3021 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

देश में पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (अप्रैल 2025 - जनवरी 2026) के दौरान सौर, पवन, जैव-ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षमता का विवरण

(मेगावाट में)

वर्ष	सौर विद्युत	पवन विद्युत	जैव-ऊर्जा	जल विद्युत	कुल
2022-23	12783.82	2275.55	119.69	215.20	15394.26
2023-24	15033.26	3253.39	139.10	136.95	18562.70
2024-25	23832.87	4151.31	642.17	897.30	29523.65
2025-26 (जनवरी, 2026 तक)	34955.28	4612.58	30.61	3494.56	43093.03

महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (अप्रैल 2025 - जनवरी 2026) के दौरान सौर, पवन, जैवऊर्जा तथा जलविद्युत क्षमता का विवरण

(मेगावाट में)

वर्ष	सौर-विद्युत	पवन विद्युत	जैव-ऊर्जा	जल विद्युत	कुल
2022-23	2091.88	0	8.54	0	2100.42
2023-24	1526.77	195.15	2.50	1.20	1725.62
2024-25	4437.60	76.63	355.11	2.00	4871.34
2025-26 (जनवरी, 2026 तक)	8417.86	562.40	0	0	8980.26

*****